



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 658 राँची, शुक्रवार,

18 दिसम्बर, 2020 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

20 अप्रैल, 2020

संख्या-9/चि०महा०-7-12/2019- 83(9)-- भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली 2018 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

- संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ -
 - यह नियमावली झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।
 - इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
 - यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली 2018 के अध्याय-2 के नियम-3 की सारणी (क) के क्रम सं० 1 में संशोधन:-

”झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली 2018 के अध्याय-2 के नियम-3 की सारणी (क) के क्रम सं०-1 में अंकित शब्द एवं अंक समेकित रू० 60,000/- प्रतिमाह को शब्द एवं अंक समेकित रूप से रू० 75,000/- प्रतिमाह से प्रतिस्थापित किया जायेगा”।

3. झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2018 के अध्याय-3 के नियम-6(II) के नोट (ज) के पश्चात एक नया नोट (झ) निम्नवत अंतस्थापित किया जायेगा।

”(झ) झारखण्ड चिकित्सा सेवा संवर्ग के वैसे सरकारी चिकित्सक जिनकी नियुक्ति ट्यूटर एवं वरीय रेजिडेंट के पद पर नियमावली बनने के पश्चात हुई है को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं भत्ता ट्यूटर एवं वरीय रेजिडेंट के पद पर नियुक्ति अवधि के लिए देय होगा। सामान्य कटौतियां नियमानुसार की जायेगी।“

4. झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली 2018 के अध्याय-3 नियम- 7 (iv) में अंकित ”वरीय रेजिडेंट/ट्यूटर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 27 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु समय-समय पर निर्धारित उम्र सीमा के अनुरूप प्रभावी होगी“ को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

MEDICAL COUNCIL OF INDIA (AMENDED UPTO 8TH JUNE, 2017) में प्रावधानित किया गया है कि “Senior Resident is one who is doing his/her residency in the concerned post graduate subject after obtaining PG degree (MD/MS) and is below 40 year of age”

तदनुसार ट्यूटर/वरीय रेजिडेंट के पद पर नियुक्ति के लिए एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित उम्र सीमा के अनुरूप सभी कोटि के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

डा० नितिन कुलकर्णी,
सरकार के प्रधान सचिव
